कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 5582 दुर्ग, दिनांक 14/08/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)

छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purouse under Forest Conservation Act 1980 for the purpose of Bharat Ner Phase-II Kawardha Division " Bharat Net project which is a GOI intiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre Cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the state" , area – 10.526 ha. – regarding.**
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/43109/2019.

संदर्भ :– 1) आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.115–832/3169 दि. 24.12.2019.

2) व.म.अ. कवर्धा का पत्र क्र./तक.अधि./1841 दिनांक 11.08.2020.

विषयांतर्गत निवेदन है कि, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत Bharat Ner Phase-II Kawardha Division " Bharat Net project which is a GOI intiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre Cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the state , हेतु कुल क्षेत्र 10.526 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु संबंधित संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् प्रस्ताव वनमण्डल कार्यालय, कवर्धा को प्रेषित किया गया है, जिसका वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा द्वारा परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित कंडिकावार 21 बिन्दुओं पर प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र–3 सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा से प्राप्त विषयांकित प्रस्ताव अनुशंसा सहित मय सहपत्रों के एवं भाग–3 मूलतः 03 प्रतियों में आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :–1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में

2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्ताव में संलग्न (03 प्रतियों में)

3. टाईम लाईन

14/8/2020

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

13/8/2020

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 5583 दुर्ग, दिनांक 14/08/2020

प्रतिलिपि :–

1.) **वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा** वनमण्डल, **कवर्धा** की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2.) **ACEO, Chhattisgarh Infotech promotion society CHIPS, 2nd floor, SDC Building, Civil Line, Raipur** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/2020

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

13/8/2020

E:\2020\DM\Memo-DM-2020.docx (pk)

भाग III
(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारिख और किये गये प्रक्षेणों को,निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें । :–	" नही "
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं । :–	"हॉ संलग्न"
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें । :–	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –II" के तहत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए व्यपवर्तन हेतु मांग की गई प्रभावित वनभूमि 10.239 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.287 हें. कुल रकबा 10.526 हे. गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा कीं जाती हे।

दिनांक 14-8-2020
दुर्ग

हस्ताक्षर
(शालिनी रैना) भा.व.से
मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वन वृत्त दुर्ग (छत्तीसगढ़)

मुख्य वन संरक्षक (क्षे.)
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
सरकारी मोहर

—:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230 E-mail : dfo_kabirdham@rediffmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 1841 कवर्धा, दिनांक :— 11 / 08 / 2020

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

मु.व.सं. (क्षे.) दुर्ग वृत्त

विषय :— Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Kawardha Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State", area- 10.526 ha. - regrading.

(पंजीयन क्रमांक— FP/CG/OFC/43109/2019)

संदर्भ :— अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध / व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र. / भू—प्रबंध / विविध / एल.एम—115—832 / 3169 दिनांक 24.12.2019।

———✡✡✡———

निवदेन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत **BharatNet Phase-II Kawardha Division** "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State", हेतु कुल क्षेत्र 10.526 हे. वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु संबंधित संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिसका परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा सहित प्रस्ताव आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त प्रस्ताव का कंडिकावार विवरण निम्नानुसार है :—

बिंदु क्रमांक 1 — आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड / छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत पण्डरिया एवं बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट—ऑफ—वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 10.526 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है। (प्रस्ताव पृष्ठ 1)

बिंदु क्रमांक 2 — रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/42567 / 2019 आवंटित किए गए हैं। आनलाईन एक्नॉलेजमेंट स्लिप की छाया प्रति संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 2—3)

बिंदु क्रमांक 3 — आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमण्डल अन्तर्गत वन परिक्षेत्र कवर्धा, खारा, लोहारा, पंडरिया पूर्व, पंडरिया पश्चिम, रेंगाखार एवं तरेगांव के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित आरक्षित वन 5.181 हे., संरक्षित वन 5.035 हे., नारंगी वन 0.023 हे., राजस्व वन 0.287 हे., कुल आवेदित वन भूमि रकबा 10.526 हे. है। (प्रस्ताव पृष्ठ 4—20)

बिंदु क्रमांक 4 — कवर्धा वनमण्डल अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 45.055 हे. है। (प्रस्ताव पृष्ठ 21)

बिंदु क्रमांक 5 प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है।(प्रस्ताव पृष्ठ 22—27)

क्रमशः पेज 02 पर......

बिंदु क्रमांक 6 – प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 28–37)

बिंदु क्रमांक 7 भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –।।" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमण्डल अन्तर्गत वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 10.526 हे. का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य हैं। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गों के राईट ऑफ वे में किया जाना है अतः इसमें वृक्ष विदोहन नही होना है। कबीरधाम जिला के क्षेत्रांतर्गत पण्डरिया एवं बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से सम्पादित होंगे। (प्रस्ताव पृष्ठ 38–45)

बिंदु क्रमांक 8 – भारतनेट, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है एक दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है, जिसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों जोड़कर उच्च्य गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। (प्रस्ताव पृष्ठ 46–48)

बिंदु क्रमांक 9 – प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं। प्रमाण पत्र संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 49)

बिंदु क्रमांक 10 – इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुध्द किसी प्रकार के अधिनियंम उल्लघंन की गयी कार्यवाही प्रस्तावित नही है। (प्रस्ताव पृष्ठ 50)

बिंदु क्रमांक 11 – वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा (प्रस्ताव पृष्ठ 51–71)

भाग–1 – आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड/छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत पण्डरिया एवं बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 10.526 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना हैं।
भाग–2 – कवर्धा वनमण्डल अन्तर्गत वन परिक्षेत्र कवर्धा, खारा, लोहारा, पंडरिया पूर्व, पंडरिया पश्चिम, रेंगाखार एवं तरेगांव के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित आरक्षित वन 5.181 हे., संरक्षित वन 5.035 हे., नारंगी वन 0.023 हे., राजस्व वन 0.287 हे., कुल आवेदित वन भूमि रकबा 10.526 हे. प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग के राईट–ऑफ–वे में किया जाना है। जिसमे किसी भी प्रकार के वृक्ष का विदोहन शामिल नहीं है तथा मार्ग के किनारे राईट–ऑफ–वे में वृक्ष विद्यमान नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में भोरमदेव अभ्यारण स्थित है। शासन के निर्देशानुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग (ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है।

बिंदु क्रमांक 12 – आवेदित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे है। (प्रस्ताव पृष्ठ 72)

बिंदु क्रमांक 13 – कबीरधाम जिला क्षेत्रांतर्गत पण्डरिया एवं बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 73–76)
बिंदु क्रमांक 14 – कबीरधाम जिले की कुल वन भूमि रकबा 158830.00 हे. है। (प्रस्ताव पृष्ठ 77)

क्रमशः पेज 03 पर.....

बिंदु क्रमांक 15 – व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 18 प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 1240.00 हे. है। (प्रस्ताव पृष्ठ 78)

बिंदु क्रमांक 16 – व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी 3 प्रकरण मे की कुल प्रत्यावर्तन वन भुमि रकबा 0.723 हे. है। (प्रस्ताव पृष्ठ 79)

बिंदु क्रमांक 17 – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में भोरमदेव अभ्यारण स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। (प्रस्ताव पृष्ठ 80)

बिंदु क्रमांक 18 – आवेदित क्षेत्र के लिए वन अधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र कलेक्टर कबीरधाम द्वारा जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 81–82)

बिंदु क्रमांक 19 – आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है, राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कबीरधाम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है। (प्रस्ताव पृष्ठ 83–85)

बिंदु क्रमांक 20 – पंजीयन शुल्क तथा प्रस्संकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क कुल राशि 24000 रूपये जमा कर दिया गया है। जिसे जिला कोषालय में चालान नम्बर 33 दिनांक 14.01.2020 द्वारा वन मण्डलाधिकारी कवर्धा के पी. डी. खाते में जमा कर दिया गया है। (प्रस्ताव पृष्ठ 86)

बिंदु क्रमांक 21 – प्रस्तावित वन भूमि किसी वन्य प्राणी परियोजना के अंतर्गत नही आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नही है। (प्रस्ताव पृष्ठ 87)

सहपत्र :– प्रस्ताव एवं DGPS रिर्पोट 04 प्रतियों में।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

पृ.क्र./तक.अधि./1842
कवर्धा,दिनांक :–11/08/2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/एल.एम–115–832/3169 दिनांक 24.12.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. ACEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society Chips,2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur Chhattisgarh की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा